

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

भगवान सहाय बनाम गोपाललाल व अन्ना

पत्र संख्या 17/18

दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31/1/22	पत्रावली भेजा हुई। व डॉलेंस / कार्य रथा कार्यवाही नहीं की दिनांक 29/1/2021 का है।	
21/1/21	फावली भाण पैरा हुई। वकील अनुपस्थित। वकील फावली पर पूर्व से ही अनुपस्थित चले जा रहे हैं। न्यायालय द्वारा फावली वास्ते अधिकार दियमत की जा चुकी है। डाण नी वकी व वकी- अधिकारता अनुपस्थित है। न्यायालय द्वारा बार-बार आवाक लखारि गर्ने, कोई भी उपस्थित नहीं आया। अधिकार आवाक न्यायालय द्वारा 4 PM पर लखारि गर्ने, कोई भी उपस्थित नहीं आया। ज्ञः रसते स्पष्ट होता है की वकी व वकी अधिकारता इस दाये को अग्रसर करने के कठोर वच्युक्त नहीं है। आण वकी का वाद उपस्थित मैरवी, अहम दायरी में खारीक किया जाता है। फावली फैसल शुमार होकर, द्वैत नम्बर से कम होने पर दफ्तर - दाखिल है। निर्णय डाण दिनांक 21/1/21 को उपर न्यायालय एवं से इलास सुनाया गया।	

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
बस्सी जिला-जयपुर